कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

दिनांक :– 21 AUG 2020

प्रेस नोट

अब प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियाँ नही लगा पायेंगी अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन आदि शब्द

राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी, नियमों में संशोधन

राजस्थान राज्य में कार्यरत प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीयाँ अब अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन, इन्टेलिजेन्स इत्यादी शब्दो का प्रयोग नही कर सकेगी।

नियंत्रक प्राधिकारी, राजस्थान राजीव दासोत ने बताया गृह विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से दिनांक 17.08.2020 को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी कर राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के नियम 5 में संशोधन कर प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी के नाम में डिटेक्टिव (Detective), इन्वेस्टिगेशन (Investigation), सर्विलांस (Surveillance), इन्टेलिजेन्स (Intelligence), इन्ट्रोगेशन (Interrogation), फैसेलिटी (Facility), लेबर सप्लार्य (Labour Supplier) इत्यादी शब्दो के प्रयोग को वर्जित कर दिया गया है।

दासोत ने बताया कि प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हेतु नवीन लाइसेन्स हेतु आवेदन कर रहे आवेदकों एवं वर्तमान में संचालित निजी सुरक्षा एजेन्सीज व निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान संचालको को संशोधित नियम को ध्यान में रखते हुए, यदि उनके द्वारा संचालित एजेन्सी के नाम में उपरोक्त वर्णित वर्जित शब्द हो तों उन्हे हटाकर संशोधन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

नियमों में उपरोक्त संशोधन होने के कारण उपरोक्त वर्जित शब्दों के साथ प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी के नवीन लाइसेन्स व लाइसेन्स नवीनीकरण जारी नहीं किये जायेंगें तथा वर्तमान में कार्यरत एजेन्सीयाँ जो इस प्रकार के शब्द अपने नाम में प्रयोग कर रही है उन्हें भी एक माह के अन्दर नाम परिवर्तित करने की कार्यवाही करनी होगी।

रिश्वतखोर होमगार्ड मुख्य आरक्षी निलम्बित

सिरोही जिले में आबूरोड़ स्थित होम गार्ड, उपकेन्द्र के प्रभारी हैड कॉनिस्टेबल भूराराम पुत्र छोगा राम को महानिदेशक, होमगार्ड राजीव दासोत द्वारा निलम्बित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री नारायण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार भूराराम हैड कॉनिस्टेबल को 6 स्वयं सेवको से 12,000/– रूपये रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक 21.08.2020 को गिरफ्तार किया गया, जिस सम्बन्ध में निलम्बन की कार्यवाही की गई है। निलम्बित हैड कॉनिस्टेबल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

Scanned by CamScanner